FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

पुनाराम बनाम भंवरीदेवी वगैरह

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 173/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
28.04.26	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं0 1, 2 अधिवक्ता ने बहस हेतु निवेदन किया। पत्रावली में अप्रार्थी सं0 1, 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब आज शामिल मिसल हो चुका है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया है कि उक्त वादगत भूमि में बंटवारा करवाना चाहते है एवं स्थगन आदेश नहीं होने पर अप्रार्थीगण अपना हिस्सा हस्तांतरण कर देगें और नए पक्षकार को पत्रावली में जोड़ना होगा जिससे वाद विवाद बढ़ेगें साथ ही वादगत भूमि पर कब्जा भी वादी का है। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के पक्ष में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की एक नजीर रामजीलाल वगैरह बनाम हिम्मतसिंह वगैरह (Citation 2024(2)डीएनजे Rec 1372) प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वादपत्र के निस्तारण तक स्थाई करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं0 1,2 अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे हुए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया है। साथ ही निवेदन किया है कि अप्रार्थी सं0 ने जरिये बैयनामा खरीद की है एवं नामान्तरण प्रक्रियाधीन है। नामान्तरण स्वीकृत होने के पश्चात खाता विभाजन किया जावे। क्योंकि मालिकाना हक अब अप्रार्थी सं0 2 के पास है व बाद बैयनामा के उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं0 2 ही काबिज काश्त है। अतः प्रार्थनापत्र नियमानुसार न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। चूंकि अप्रार्थी सं0 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में आने के बाद ही खाता विभाजन संभव है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावे। न्यायालय द्वारा पत्रावली व जवाब प्रार्थनापत्र, उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू को साबित करने में असफल रहे है। अतः यह पत्रावली/प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है एवं दिनांक 21.04.255 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज 28.04.26 सरे इजलास सुनाया गया।	